



UPBS040375602024  
**IN THE COURT OF J.M. I , Basti**  
**(Presided Over by SIDDHARTH BARGOTI)**  
**Criminal Misc. Cases/1385/2024**

धारा-138 एन०आई० एक्ट,  
 थाना-कोतवाली, जनपद-बस्ती।

**03.12.2024**

पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षेप में परिवाद कथानक यह है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को परिवादपत्र में वर्णित चेक सं०-"007248" मु० 1,00,000/-रु० जारी किया गया, जिसे परिवादी द्वारा अपने बचत खाते में जमा किया। उपरोक्त चेक परिवादी के बैंक द्वारा अनादृत कर दिया गया। परिवादी द्वारा विपक्षी को चेक अनादृत होने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित की गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा नोटिस के उपरान्त भी भुगतान नहीं किया गया।

परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में धारा-223 B.N.S.S. के बयान में स्वयं का साक्ष्य जरिये शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मूल चेक, मूल बैंक मेमों, नोटिस की प्रति, मूल रजिस्ट्री रसीद दाखिल की है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी के द्वारा दिये गये चेक सं०-"007248" मु० 1,00,000/-रु० के भुगतान हेतु चेक को अपने खाते में जमा किया गया, जो अनादृत हो गया। परिवादी द्वारा विपक्षी को चेक अनादृत होने के तीस दिन के अन्दर नोटिस दी गयी, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी को भुगतान नहीं किया गया। परिवादी द्वारा चेक सं०-"007248" मु० 1,00,000/-रु० विपक्षी को चेक अनादृत होने की नोटिस मिलने के बाद भी भुगतान न करने के कारण परिवाद मियाद समय के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। अतः विपक्षी उक्त को धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का पर्याप्त आधार है।

**आदेश**

अभियुक्त दिनेश कुमार सिंह को धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत तलब विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी सूची गवाहान दाखिल करे। परिवादी द्वारा पैरवी करने के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध समन निर्गत हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक: 07.01.2025 को पेश हो।

**दिनांक-03-12-2024**

**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,  
 कोर्ट संख्या-12, बस्ती।**